2018/01383

राजस्व लोक अदालत केम्प चिलानाडी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 51/2018

वादीगण :– 1 चम्पादेवी पत्नि शंकरराम जाति कुम्हार निवासी चिलानाडी
बनाम
प्रतिवादीगण :– 1. केसाराम, लूणाराम, बुद्धाराम, अनोपाराम पुत्र शंकरराम कुम्हार

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्ध

आदेश दिनांकः–12.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत चिलानाडी में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम चिलानाडी के खसरा न0 4161/3674, 4159/3674, सुल्ताननगर के ख0न0 4334/2927, 4196/2927 में अपीलाण्ट का नामन्तरकरण संख्या 451 मे दर्ज करते समय अशुद्व नाम धापूदेवी दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार चम्पादेवी पत्नि शंकरराम है अतः अपीलाण्ट का सही नाम चम्पादेवी पत्नि शंकरराम करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता चम्पादेवी, प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, भामाशाह व पटवारी चिलानाडी /आरआई पाटोदी/उप तहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे धापूदेवी की जगह चम्पादेवी पत्नि शंकरराम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम धापूदेवी की जगह चम्पादेवी पत्नि शंकरराम करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प....चिलानाडी

Scanned by CamScanner